न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

सीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
दमा नम्बर 149/2022 राजस्व वाद
पत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

01. सायरी देवी पत्नी श्री रामचन्द, जाति–बलाई, उम्र वयस्क, निवासी–सूलिया, पटवार हल्का–गोरधनपुरा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।

––वादीगण

बनाम

01. देउ देवी पत्नी श्री रामचन्द्र, जाति–बलाई, उम्र वयस्क, निवासी–सूलिया, पटवार हल्का–शिवपुर, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।
02. तहसीलदार करेड़ा जरिये पेरोकार सरकार तह0 करेड़ा जिला भीलवाडा

––प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा – 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम

स्थितः–
1 श्री मुकेश सिंह तंवर — अधिवक्ता वादी
2 एक तरफा कार्यवाही — प्रतिवादी सख्या 01 लगायत 02

:: निर्णय :: दिनांक 09.12.2024

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 183– राज0 टिनेन्सी ट के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम–सूलिया, पटवार हल्का–गोरधनपुरा, भू.अभिलेख निरीक्षक–चिताम्बा, अंकित आराजी नंबर–1337, 1338, 1339, 1486, 1487, 1488 कुल किता–06 रकबा–0.9485 हैक्टर मे स्थित है जो वादी के नाम दर्ज है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराने हेतु न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड धेकारी करेड़ा के समक्ष पेश किया जो प्रकरण संख्या 10/2016 पर दर्ज होकर दिनांक 08.06.2016 निर्णित हुआ। निर्णय की पालना हेतु दिनांक 26.05.2022 को राजस्व अधिकारियों द्वारा पत्थरगढ़ी की ई जिसमें मौके पर आराजी नंबर–1488 रकबा–0.1518 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 01 का अवैध कब्जा या गया। इस पर प्रतिवादी संख्या 01 को पत्थरगढी अनुसार वादी की भूमि से कब्जा छोड़ कर वादी सुपुर्द करने करने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 ने साफ तौर पर इंकार कर दिया। इस कारण द पत्र पेश कर भू–अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी हेतु प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम–सूलिया टवार हल्का–गोरधनपुरा, आराजी नंबर–1488, रकबा–0.1518 हैक्टर पर अवैध कब्जा है। उसे हटाकर दी को सुपुर्द करने का निवेदन किया।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये जेस्टर्ड एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेषित दिनांक से विहित समयावधि एक माह व्यतीत होने र भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए। नियत दिनांक को प्रतिवादीगण को विधिवत् तीन मर्तबा रूक क कर आवाजें लगाई किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी 01 लगायत 05 के विरूद्व एक रफा कार्यवाही के आदेश किए गए। वादी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रकरण में पलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों ो दोहराते हुए वाद पत्र को डिकी करने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

मैने पक्षकारन के अधिवक्त की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, पटवार हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढी आदेश पर तैयार किए गए मौका पर्चा का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट से भी वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य है। अतएवः

आदेश

वादी का वाद पत्र स्वीकार कर पत्थगढ़ी पर्चा मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम–सूलिया, पटवार हल्का–गोरधनपुरा, भू.अभिलेख निरीक्षक–चिताम्बा, में अंकित आराजी नंबर–1337, 1338, 1339, 1486, 1487, 1488 कुल किता–06 रकबा–0.9485 हैक्टर भूमि मे से आराजी नंबर–1488 रकबा–0.1518 हैक्टर पर किये गये अवैध कब्जे का हटाया जाकर वादी को सुिपर्द कराया जावें। इस निर्णय की पालना में तहसीलदार करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें । खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिकी जारी हो ।पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 149/2022 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

01. सायरी देवी पत्नी श्री रामचन्द, जाति–बलाई, उम्र वयस्क, निवासी–सूलिया, पटवार हल्का–गोरधनपुरा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।

––वादीगण

बनाम

01.देउ देवी पत्नी श्री रामचन्द्र, जाति–बलाई, उम्र वयस्क, निवासी–सूलिया, पटवार हल्का–शिवपुर, तहसील करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।

02. तहसीलदार करेड़ा जरिये पेरोकार सरकार तह0 करेड़ा जिला भीलवाडा

––प्रतिवादीगण

–––

वादी की ओर से श्री मुकेश सिह तंवर, एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 09.12.2024 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वार राशि **शून्य** को दी जायें।

वादी का वाद पत्र स्वीकार कर पत्थगढ़ी पर्चा मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम–सूलिया, पटवार हल्का–गोरधनपुरा, भू.अभिलेख निरीक्षक–चिताम्बा, में अंकित आराजी नंबर–1337, 1338, 1339, 1486, 1487, 1488 कुल किता–06 रकबा–0.9485 हैक्टर भूमि मे से आराजी नंबर–1488 रकबा–0.1518 हैक्टर पर किये गये अवैध कब्जे का हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावें।खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा

यह डिक्री आज दिनांक 09.12..2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा